

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि. प्रा.(III) यो. –6/2014–

/पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक), बिहार
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – विभागान्तर्गत कामेश्वर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, समस्तीपुर के स्थायी परिसर में नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 11 KV HT लाईन पहुँचाने के लिए पर्यवेक्षण शुल्क एवं जी.एस.टी. सहित कुल रू. 10,10,000=00 (दस लाख दस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, कामेश्वर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, समस्तीपुर के पत्रांक–21, दिनांक 24.02.2018 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, रोसड़ा द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर डिपोजिट वर्क अन्तर्गत संस्थान के परिसर में नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 11 KV HT लाईन पहुँचाने के लिए पर्यवेक्षण शुल्क एवं जी.एस.टी. सहित कुल रू. 10,10,000=00 (दस लाख दस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 के राज्य स्कीम बजट के “मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय” (विपत्र कोड 43–4202021040102) के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी राजकीय कोषागार, दलसिंहसराय से की जायेगी तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, रोसड़ा को उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. –6/2014–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. –6/2014–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, दलसिंहसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. –6/2014–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, रोसड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. –6/2014–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. –6/2014–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्राचार्य, कामेश्वर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. –6/2014–


1912

/पटना, दिनांक–

30-7-2018

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव


27/7/18

मार्गदर्शक